कार्यालय-नगर पालिक निगम सतना, (म.प्र.)

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की रिट याचिका क्रमांक 7275/2019 में पारित आदेश दिनांक 30.01.2024, म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 07-19/2019/आ.प्र./1 दिनांक 14.02.2024, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन एवं आवास विभाग के पत्र क्रमांक/676/16017123/2023/18-1 दिनांक 16.02.2023. संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक / स्था / एक/201/प्र.शि. / 2024/3780 भोपाल दिनांक 26.02.2024 तथा मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, के पत्र क्रमांक एफ 8-2/2013/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 04.01.2024 एवं अन्य पत्रों में दिये गये निर्देशानुसार विशेष भर्ती अभियान के तहत दिव्यांगजनों के लिए निम्न तालिका अनुसार आरक्षित पद/पदों की पूर्ति वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से की जाना है। इस हेतु निर्धारित योग्यता एवं आर्हता रखने वाले अभ्यार्थी नीचे दर्शाये गये निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भरकर दिनांक 08.08.2024 कार्यालयीन समय 5 :30 सांयकाल तक आवेदन-पत्र प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में आवेदन पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में उन पर विचार नहीं किया जायेगा। डाक के माध्यम से विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र के लिए निकाय/ कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। दिव्यांगजनों हेतु आरक्षित रिक्त पदों का विवरण, वेतनमान, निर्धारित योग्यता एवं वॉक-इन-इंटरव्यू के लिए निर्धारित तिथि की जानकारी निम्नानुसार है :-

सं. क्र.	पद का नाम	पद की श्रेणी	वेतनमान	दिव्यांगजनों की लिए आरक्षित वर्गवार रिक्तियां				निर्धारित योग्यता	वॉक-इन इंटरव्यू हेतु निर्धारत तिथि
				दृष्टिबाधित और कमदृष्टि	बहरे और कम सुनने वाले	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त,बौनापन, एसिड अटेक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्राफी	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग-डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	उपयंत्री (सिविल)	तृतीय श्रेणी (नियमित)	लेवल-8 (32800-103600)	-	01	-	-	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा	13.08.2024 (प्रात : 10 :00 बजे से सायं 5 :00 बजे तक)
2	सहायक ग्रेड-3	तृतीय श्रेणी (नियमित)	लेवल-4 (19500- 62000)	01		01	-	12 वी कक्षा उत्तीर्ण तथा टंकण कार्य एवं कम्प्यूटर प्रचालन में दक्षता सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित योग्यता	13.08.2024 (प्रात : 10 :00 बजे से सायं 5 :00 बजे तक)
3	सहायक राजस्व निरीक्षक	तृतीय श्रेणी (नियमित)	लेवल-4 (19500- 62000)	-	-	01	01	12 वीं कक्षा उत्तीर्ण एवं कम्प्यूटर प्रचालन में दक्षता 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण	13.08.2024 (प्रात : 10 :00 बजे से सायं 5 :00 बजे तक)
4	फायरमैन	तृतीय श्रेणी (नियमित)	लेवल-5 (22100- 70000)	-	01	-	-	10वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से फायरमेन प्रमाण पत्र	13.08.2024 (प्रात : 10 :00 बजे से सायं 5 :00 बजे तक)
5	माली	तृतीय श्रेणी (नियमित)	लेवल-4 (19500- 62000)	-	-	-	01	कक्षा 8वीं उत्तीर्ण तथा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षण अथवा पांच वर्ष का अनुभव	13.08.2024 (प्रात : 10 :00 बजे से सायं 5 :00 बजे तक)
6	भृत्य	चतुर्थ श्रेणी (संविदा)	मासिक मानदेय 8000/-	01	-	01	01	कक्षा 10वी उत्तीर्ण	13.08.2024 (प्रात : 10 :00 बजे से सायं 5 :00 बजे तक)
7	लीडिंग फायरमैन	तृतीय श्रेणी (संविदा)	मासिक मानदेय रू. 15000/	-	-	-	01	10वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से अग्निशमन उप अधिकारी पाठ्यक्रम या समकक्ष पाठ्यक्रम	13.08.2024 (प्रात : 10 :00 बजे से सायं 5 :00 बजे तक)
8	फायरमैन	तृतीय श्रेणी (संविदा)	मासिक मानदेय रु 10000/	-	01	01	-	10वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से फायरमेन प्रमाण पत्र	13.08.2024 (प्रात : 10 :00 बजे से सायं 5 :00 बजे तक)
9	ड्रायवर भारी वाहन	तृतीय श्रेणी (संविदा)	मासिक मानदेय रु. 10000/	-	01	-	-	10वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा हैवी मोटर व्हीकल चलाने का लाइसेंस	13.08.2024 (प्रात : 10 :00 बजे से सायं 5 :00 बजे तक)
10	सफाई संरक्षक	चतुर्थ श्रेणी (संविदा)	मासिक मानदेय 8000/-	06	06	05	05	कक्षा 5वीं उत्तीर्ण	13.08.2024 (प्रात : 10 :00 बजे से सायं 5 :00 बजे तक)

मुख्य शर्तें :

1. आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
2. समस्त प्रमाण-पत्रों को सक्षम अधिकारी अथवा स्वयं सत्यापित करने उपरांत प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न प्रेरित की जायें।
3. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी 3-38/16/1/3 भोपाल, दिनांक 04 जुलाई 2019 अनुसार अभ्यार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष, आरक्षित वर्ग-अनु.जा.. अनु. जनजाति, अन्यपिछड़ा वर्ग, शासकीय/ निगम / मण्डल / स्वाशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/ नि :शक्तजन / महिलाओ (अनारक्षित / आरक्षित) आदि के लिए 18 से 45 (अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट) होगी।
4. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक सी-3-8/2016/3-एक भोपाल दिनांक 12 मई 2017 एवं परिपत्र क्रमांक सी 3-38/16/1/3 भोपाल, दिनांक 04 जुलाई 2019 अनुसार के अनुसार आवेदक का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
5. आवेदक को वॉक-इन-इंटरव्यू/साक्षात्कार के समय सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति साथ लाना अनिवार्य हैं।
6. नि :शक्तता का डिजिटल प्रमाण पत्र संबंधित जिले के शासकीय जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया ही मान्य होगा।
7. डिजिटल जाति मूल निवासी प्रमाण-पत्र/जाति प्रमाण-पत्र एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया ही मान्य होगा।
8. वॉक-इन-इंटरव्यू के लिए आने वाले आवेदकों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा।
9. अधूरे, अस्पष्ट एवं अपठनीय आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जावेगा।
10. भर्ती से संबंधित जानकारी एवं शर्ते कार्यालयीन समय में निगम / निकाय से प्राप्त की जा सकती है।
11. यह कि जिस आवेदक का विवाह निर्धारित न्यूनतम आयु (पुरूष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) के पूर्व हो गया हो उसे उक्त पदों के लिए आयोग्य माना जायेगा।
12. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि यह आवेदित पर के लिये निर्धारित समस्त आर्हताओं और शर्तों को आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि पूर्ण करता है।
13. आवेदन-पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण, असत्य या त्रुटिपूर्ण पायी जाती है अथवा वांछित प्रमाण-पत्र संलग्न नही किया जाता है, तो उकसे आधार पर आवेदक को पूर्व सूचना दिये बिना उसका आवेदन पत्र किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है।
14. सीधी / वैकालॉग के पदों पर आवेदक राष्ट्रीय पेंशन योजना, 2005 अंतर्गत नियुक्ति होगें।
15. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 30.06.2014 के अनुसार वर्गवार आरक्षण न करते हुए दिव्यांगजनों की श्रेणी के आधार पर आरक्षण दिये जाने से विशेष पिछडी जनजातियों (सहारिया / सहरिया, भारिया एवं बैगा) महिलाओं एवं भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के आवेदकों को पृथक से आरक्षण का लाभ प्राप्त नही होगा।
16. ऐसे समस्त आवेदन पत्र जो अपूर्ण है एवं विहित प्रारूप में नहीं है ये निरस्त कर दिये जायेंगे। अभिलेखों को कूटरचित किया हो या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किये गये हो जो रूपान्तरित किये गये हो वे भी निरस्त कर दिए जाएंगे। साथ ही ऐसे विवरण दिये गए हो, जिसमें ऐसी तात्विक जानकारी छिपाई गई हो, जो चयन के लिए आवश्यक हो, तो ऐसे आवेदन पत्र भी निरस्त कर दिए जाएंगे।
17. दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों का उनके लिये जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराकर यह सुनिश्चित होने के पश्चात ही कि वे वास्तव में विकलांग है यह जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किये जाने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी किये जायेंगे।
18. यह कि दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के नि :शक्तता का प्रतिशत 40 प्रतिशत या अधिक पाए जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा।
19. शासन के आदेश के अनुसार, कोई भी अभ्यार्थी जिसके 02 से अधिक जीवित सन्ताने है, जिसने से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ है तो ऐसा अभ्यार्थी नियुक्त हेतु पात्र नहीं होगा, लेकिन यदि एक बच्चा जीवित है और बाद के प्रसव में दो या अधिक सन्ताने जन्म लेती है तो उसे अयोग्य नही माना जावेगा।
20. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी. 3-13/2019/3/एक भोपाल. दिनांक 12 दिसंबर 2019 के अनुसार सीधी भर्ती के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर चयन होने पर अभ्यार्थी 03 वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर नियुक्त होगा। परिवीक्षा अवधि में अभ्यार्थी को प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में दी जायेगी।
21. दिव्यांजनों हेतु चिन्हांकित संविदा के पदों पर भर्ती संबंधी कार्यवाही मध्यप्रदेश नगरपालिका संविदा (अनुबंध तथा सेवा की शर्ते) सेवा, नियम 2021 में विहित प्रावधानुसार की जावेगी।
22. जारी विज्ञापन में योग्यता या वेतनमान के संबंध में अस्पष्टता/विसंगति की स्थिति में शासन / संचालनालय का निर्णय मान्य होगा।
23. नियुक्ति से संबंधित सभी अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी के पास सुरक्षित होगें।

www.newsjobmp.com

मध्यप्रदेश की सरकारी नौकरियों एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए यहां से व्हाट्सएप चैनल Click Here